न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 134 / 2021 **दायरा दिनांक : 23.11.2021**

उनवान

नन्दूबाई पुत्री धुलिया पत्नी भैरू, जाति लोढ़ा तंवर, निवासी देवरीमन्दिर, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— नाराण पुत्र भैरू, जाति लोढ़ा तंवर, निवासी देवरीमन्दिर, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2— घीसा पुत्र किशोर, जाति लोढ़ा तंवर, निवासी देवरीमन्दिर, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

3— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अकलेरा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 13.12.2022**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 218 / 2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 13.07.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

टंकणकर्ता

[illegible] बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि ग्राम देवरीमन्दिर, तहसील अकलेरा के माल की खाता संख्या 9 की खसरा नम्बर 107 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 108 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 110 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 119 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 120 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 130 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 131 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 132 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 178 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 179 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 180 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 181 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 291 रकबा 4 बीघा, खसरा नम्बर 475 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 476 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा कुल 15 किता की कुल 17 बीघा 17 बिस्वा आराजी कंवरलाल, घीसा पिता किशोर हिस्सा 1/2 एवं नन्दू पति भैरू हिस्सा 1/2 के शामलाती खाते में दर्ज है। सहखातेदार कंवर लाल पिता किशोर लाऔलाद फौत हो गया है उसका वारिस उसका भाई घीसा ही है। वर्णित आराजी में से खसरा नम्बर 291 रकबा 4 बीघा आराजी में से 2 बीघा आराजी को प्रतिवादी नम्बर 2 नन्दूबाई ने दिनांक 21.06.1974 को जर्ये रजिस्टर्ड बैयनामा वादी को बेचान कर कब्जा आराजी संभला दिया, जिसका इंतकाल पटवारी हल्का के द्वारा खोला गया, जिसे दिनांक 11.10.1977 को अवैध बेचान बताकर खारिज कर दिया गया। वर्णित खरीदशुदा आराजी पर वादी का निरन्तर निर्विरोध कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी ने कब्जे काश्त की खरीदशुदा आराजी को खाते दर्ज कराने हेतु प्रतिवादीगण से कई बार कहा, परन्तु मना करने से वाद उत्पन्न हुआ। अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर खसरा नम्बर 291 रकबा 4 बीघा आराजी में से खरीदशुदा 2 बीघा आराजी का वादी को खातेदार टीनेन्ट घोषित किया

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद वादी डिक्री किया जाकर आदेश दिया कि ग्राम देवरीमन्दिर, तहसील अकलेरा के माल की खाता संख्या 9 की खसरा नम्बर 291 रकबा 4 बीघा आराजी में से 2 बीघा आराजी पर से प्रतिवादी नम्बर 2 नन्दू पुत्री धूल्या पत्नी भैरू लोढ़ा, निवासी देवरी मन्दिर का नाम कम किया जाकर वादी को खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाता है तथा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की। अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि राजस्व लोक अदालत में उन्हीं वाद का निर्णय किया जाना चाहिए जिनमें दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा हो गया हो तो राजीनामे के आधार पर ऐसे प्रकरण का फैसला लोक अदालत में किया जा सकता है, परन्तु इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में वादी नाराण के उपस्थित होने के आधार पर तथा नन्दूबाई, घीसा के अनुपस्थित होने के आधार पर एकपक्षीय रूप से फैसला कर दिया है। जो कानूनी प्रावधानों एवं लोक अदालत के नियमों के विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है। अपीलांट को नियमित वाद में तथा लोक अदालत के नोटिस की भी कोई सूचना विधिवत नहीं हुई थी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 20.10.2014 एवं दिनांक 17.11.2014 को जो तारीख दी गई है। वह न्यायालय के रीडर द्वारा दी गई थी, इस कारण उक्त आगामी तारीख 15.11.2014 को अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश करना न्यायिक सिद्धांतों के विपरीत था। दिनांक 21.06.1974 को जो बेचान पत्र पेश किया है, उस समय खातेदार नन्दू पुत्री भैरू, गेन्दी नन्दू विधवा भैरू तीनों का 1/2 हिस्सा आराजी जमाबंदी संख्या 9 संवत 2068–2071 में दर्ज हो रहा है तथा इससे पूर्व भी जब रेस्पोडेंट नाराण ने आराजी का बेचान पत्र निष्पादित कराया उस समय नन्दू बाई द्वारा अपने हिस्से से अधिक आराजी का बेचान करने के कारण तहसीलदार द्वारा इंतकाल खारिज

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

कर दिया गया था, जिसकी कोई अपील भी रेस्पोडेंट नाराण ने नहीं की। अधीनस्थ न्यायालय ने खरीदशुदा आराजी पर कब्जा मुखालफाना को मानकर भूल की है और कानूनन कब्जा मुखालफाने के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जाने के कानूनी प्रावधान है, उस पर गौर न कर अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। गेन्दी विधवा भैरू सहखातेदार होने से वाद में आवश्यक पक्षकार है। इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त होने योग्य है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट द्वारा बैंक ऑफ बडौदा शाखा, अकलेरा में रहन रख रखी है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना बैंक ऑफ बडौदा को पक्षकार बनाये दावा डिक्री करने में भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.07.2015 निरस्त की जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 22.10.2021 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 2011(2) पेज 1337 व आर.आर.डी. 2017 पेज 382 पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजी के बाबत् दिनांक 22.12.2008

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

को निर्णय व डिक्री पारित किया गया है और अपीलांट नन्दूबाई पुत्री धुलिया पत्नी भैरू, जाति लोढ़ा तंवर, निवासी देवरीमन्दिर, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड द्वारा न्यायालय हाजा में दिनांक 23.11.2021 को अपील पेश की गई जो लगभग 6 साल मियाद बाहर पेश की गई है । इस प्रकार अपीलांट नन्दूबाई ने मियाद के सम्बन्ध में एक एक दिन के डिले को साबित नहीं किया है जबकि मियाद के बिन्दु पर एक एक दिन के डिले को साबित किया जाना चाहिए था। अपीलांट द्वारा डिले के सम्बन्ध में किसी प्रकार की साक्ष्य अथवा दस्तावेज पेश नहीं किये हैं और ना ही कोई पर्याप्त कारण अवगत करवाये हैं। ऐसी स्थिति में यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं शपथ पत्र से विवादित आराजी खसरा नम्बर 291 रकबा 4.00 बीघा में से 2.00 बीघा आराजी नन्दूबाई ने नाराण को बेचान कर दी थी। तब **से आज तक खरीदशुदा आराजी पर वादी नाराण का निरन्तर व** निर्विरोध कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी का वादग्रस्त आराजी पर लगभग 12 वर्षों से अधिक समय से निरन्तर कब्जा काश्त होने के कारण वादी को कब्जा मुखालफाना के आधार पर वादग्रस्त आराजी पर स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह उचित प्रतीत होता है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.07.2015 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

13/12/2022

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू **प्रबन्ध** अधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

नन्दूबाई पुत्री धुलिया पत्नी भैरू, जाति लोढ़ा तंवर, निवासी देवरीमन्दिर, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
.....अपीलान्ट्स

बनाम

1– नाराण पुत्र भैरू, जाति लोढ़ा तंवर, निवासी देवरीमन्दिर, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
2– घीसा पुत्र किशोर, जाति लोढ़ा तंवर, निवासी देवरीमन्दिर, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
3– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अकलेरा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

अपील नं. 134/2021 एवं नाराजगी डिक्री अदालत – उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा
मु.द.नं0 218/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक – 13.07.2015

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 12 माह 12 सन् 2022

हाजरी **श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट की ओर से

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 13.07.2015 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 13 माह 12 सन् 2022 को जारी किया गया ।

मोहर

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)